

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ राजस्थान
जयपुर

:: यू.ओ.नोट ::

विषय : चार्टर्ड अकाउन्टेंट/चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों के पैनल (वर्ष 2021-24)
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यू.ओ.नोट के साथ चार्टर्ड अकाउन्टेंट/चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों के पैनल (वर्ष 2021-24) जारी करने की अधिसूचना, 41 चार्टर्ड अकाउन्टेंट (पृष्ठ 1 से 3) एवं 476 चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्मों के पैनल (पृष्ठ 1 से 29) संलग्न कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

³
(ओम प्रकाश)

संयुक्त मुख्य अंकेक्षक(जनरल)

यू.ओ.नोट क्रमांक फा. 8(5)सविरा/ऑडिट/एम्पैनलमेंट/2021-24 दिनांक 30.03.21

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
प्रधान कार्यालय
जयपुर


कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ,
नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम,
राजस्थान, जयपुर

क.फा.8(45) सविरा/ऑडिट/एम्पैनलमेंट/2021-24

दिनांक :

::अधिसूचना::

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-54 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य की सहकारी सोसायटियों के सांविधिक लेखापरीक्षण के लिये चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स / चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट फर्मों के पैनल वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के गठन के लिये विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2021 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत पात्र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स का पैनल भाग-क व पात्र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट फर्मों का पैनल भाग-ख में जारी कर अधिसूचित किया जाता है।


(मुक्तानन्द अग्रवाल)
रजिस्ट्रार